फर्द अहकाम

[illegible] बनाम [illegible]

नाम न्यायालय SDO II सांगानेर

केस संख्या 30/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	16/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 2 लगायत 5 का प्रार्थना पत्र बाबत एकपक्षीय डिक्री अपास्त किये जाने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत O9 R13 CPC के साथ मियाद अधिनियम धारा-5 का प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत मे खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

फर्द अहकाम

बनाम

[illegible]क आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम: हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या: 30 / 2024
निर्णय दिनांक: 16.05.2025

उनवान

बाबूलाल प्रजापत पुत्र श्री गोपीराम, जाति कुम्हार (प्रजापति), निवासी–श्रीरामपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
मुकेश प्रजापत पुत्र श्री गोपीराम, जाति कुम्हार (प्रजापति), निवासी–श्रीरामपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

बनाम — वादीगण

1. कन्हैयालाल पुत्र श्री वंशी, जाति कुम्हार (प्रजापति), निवासी–श्रीरामपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. लाली देवी पत्नि श्री कैलाश, जाति कुम्हार (प्रजापति), निवासी–श्रीरामपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. सूरज पुत्र श्री कैलाश, जाति कुम्हार (प्रजापति), निवासी–श्रीरामपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
4. किशन पुत्र श्री कैलाश, जाति कुम्हार (प्रजापति), निवासी–श्रीरामपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
5. सीता देवी पत्नी श्री पूरण पुत्री कैलाश, जाति कुम्हार (प्रजापति), निवासी–ग्राम लाखना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
6. गुल्ली पत्नी श्री वंशी, जाति कुम्हार (प्रजापति), निवासी–श्रीरामपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
7. जगदीश पुत्र श्री वंशी, जाति कुम्हार (प्रजापति), निवासी–श्रीरामपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
8. धन्नालाल पुत्र श्री वंशी, जाति कुम्हार (प्रजापति), निवासी–श्रीरामपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
9. नौरती देवी पत्नी लालचन्द, जाति कुम्हार (प्रजापति), निवासी–श्रीरामपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
10. बनवारी पुत्र लालचन्द, जाति कुम्हार (प्रजापति), निवासी–श्रीरामपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
11. राकेश पुत्र लालचन्द, जाति कुम्हार (प्रजापति), निवासी–श्रीरामपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
12. सोना देवी पत्नी अशोक पुत्री लालचन्द, जाति कुम्हार (प्रजापति), निवासी–श्रीरामपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
13. मोना देवी पत्नी बद्री पुत्री लालचन्द, जाति कुम्हार (प्रजापति), निवासी–श्रीरामपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

14. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र बाबत एकपक्षीय डिक्री अपास्त किये जाने अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा ज0दी0

निर्णय

पत्रावली तारते आदेश प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 ज0दी0 पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण/अप्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.09.2021 को उक्त उनवानी वाद पत्र संख्या 132/2021 वाद बाबत् विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया। वादीगण द्वारा वाद का प्रस्तुत करने के पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा जारी नोटिस जारी करने पर प्रतिवादी संख्या 1, 6 लगायत 13 की ओर से मनोज चौधरी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 व 14 के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुये। दिनांक 14.10.2021 को प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई व दिनांक 22.10.2021 को प्रतिवादी संख्या 1, 6 लगायत 13 की ओर से जवाब दावा पेश किया तथा वादीगण व प्रतिवादीगण अधिवक्ता की सहमति के आधार पर वाद में प्राथमिक निर्णय व डिक्री जारी कर तहसीलदार सांगानेर से कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाये जाने के आदेश दिये गये। दिनांक 07.01.2022 को तहसीलदार सांगानेर से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर वादीगण व प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वाद में अन्तिम डिक्री जारी किये जाने पर सहमति दी उसके आधार पर उक्त वाद मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अन्तिम डिक्री किया गया जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 ने उक्त एकपक्षीय डिक्री से आहत होकर एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 6 लगायत 13 ने आपसी मिलीभगत कर माननीय न्यायालय को मुगालते में रखकर उक्त निर्णय व डिक्री अवैध रूप से अपने हक में पारित करवायी है। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 पर कोई नोटिस तामिल नही हुआ और ना ही नोटिस के बारे में सूचित किया गया। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 की फर्जी व गलत तामिल करवाकर माननीय न्यायालय से उक्त निर्णय व डिक्री प्राप्त की है। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के नोटिस पर कांट-छांट कर रिपोर्ट तैयार करवायी है। उस रिपोर्ट में "नही" शब्द को काटकर अवैध रिपोर्ट तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 की फर्जी व गलत तामिल करवाकर माननीय न्यायालय से उक्त निर्णय व डिक्री प्राप्त की है। प्रतिवादी संख्या 5 ग्राम लाखना तहसील सांगानेर में निवास करती है और उसका नोटिस भी उक्त पते का ही जारी किया गया है। जबकि नोटिस की तामिल रिपोर्ट में प्रतिवादी संख्या 5 को नोटिस पर रिपोर्ट पर अंकित किया गया कि "आसामी घर पर मौजूद नही मिली। मौके पर उसकी माँ मिली। जिसने नोटिस लेने से मना किया। अतः एक प्रति उसके खुले मकान पर चस्पा किया।" उक्त रिपोर्ट पर गवाह भी ग्राम श्रीरामपुरा के रहने वाले है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 की

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

फर्जी व गलत तामिल करवाकर माननीय न्यायालय से उक्त निर्णय व डिक्री प्राप्त की है। माननीय न्यायालय ने दिनांक 22.10.2021 को प्रारम्भिक डिक्री पारित कर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर तकासमा किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हक व हिस्सा एवं भूमि का लगान अलग से कायम किया जावें। परन्तु तहसीलदार व पटवारी ने कि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 को कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करने बाबत कोई नोटिस नही दिया और ना ही किसी प्रकार से सूचित किया। तहसीलदार व पटवारी ने मौके पर आकर कोई नाप झोक नही की। बल्कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1, 6 लगायत 13 से मिलीभगत कर तैयार की है। तहसीलदार व पटवारी ने कि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के हस्ताक्षर कुर्रेजात रिपोट व नक्शे पर नही करवाये है। क्योंकि कुर्रेजात व नक्शा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1, 6 लगायत 13 से मिलीभगत कर उनको फायदा पहुंचाने की नियत से तैयार की गई है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1, 6 लगायत 13 ने आपस में साजिश रचकर प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के हिस्से की भूमि को हडपने की नियत से फर्जीकारी कर माननीय न्यायालय को मुगालते में रखकर निर्णय व डिक्री पारित करवाई है। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 पर फर्जी तामिल करवाने से व तहसीलदार व पटवारी द्वारा भी कुर्रेजात रिपोर्ट के समय नोटिस नही देने व सूचित नही करने के कारण प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 की अनुपस्थिति हुई है। प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण के लिए एक पक्षीय डिक्री को अपास्त किया जाकर प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। वादीगण द्वारा दिनांक 28.01.2024 को प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के हक व हिस्से को बेदखकर विक्रय करने की धमकी देने से व माननीय न्यायालय से एक पक्षीय निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 08.02.2024 को प्राप्त होने से प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर एकपक्षीय डिक्री को अपास्त कर प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 को सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रकरण का न्यायपूर्ण निस्तारण करने की कृपा करे। अप्रार्थीगण/वादीगण ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मयाद बाहर प्रस्तुत किया गया है, माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 22.10.2021 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई है तथा तथा दिनांक 07.01.2022 को अन्तिम डिक्री जारी की गई है जिसे माननीय न्यायालय द्वारा जारी किये 2 व 2½ वर्ष हो चुके है जिसको प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 द्वारा अपास्त किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया है। विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुसार निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने के पश्चात् 30 दिवस की अवधि में ही अपास्त किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है, इसके पश्चात् यदि कोई आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र के साथ आवेदन किये जाने का प्रावधान है, परन्तु प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश नियम 13 जाप्ता दीवानी के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नही किया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जाप्ता दीवानी पर न्यायालय विचार नही कर सकता है और प्रार्थना–पत्र प्रथम दृष्टया ही

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

मयाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 9 नियम 13 जाप्ता दीवानी माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की दिनांक से लगभग 2 व 2½ वर्ष पश्चात् प्रस्तुत किया गया है, इस प्रकार प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्पष्ट रूप से मयाद बाहर है, ऐसी स्थिति में प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 13 जाप्ता दीवानी पर सुनवाई से पूर्व मयाद के बिन्दू को निर्णित किये जाने का प्रावधान है, विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि मयाद के बिन्दू को तय किये बिना प्रार्थना–पत्र अथवा अपील पर सुनवाई नही किया जा सकता है। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में यह कही भी अंकित नही किया गया है कि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 द्वारा न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री दिनांक को न्यायालय श्रीमान से निरस्त करने की इस्तदुआ की है। न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री एव अन्तिम डिक्री दोनो ही प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के विरूद्ध एकपक्षीय पारित की है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वयं में स्पष्ट न होने से खारिज किये जाने योग्य है। वादग्रस्त भूमि विभाजन से पूर्व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के हकपूर्वाधिकारी कैलाश पुत्र वंशी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित रही है। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 द्वारा अपने हकपूर्वाधिकारी के विरासत का नामान्तरकरण सम्पति के कुर्क होने से तस्दीक नही करवाया है। विभाजन से पूर्व की जमाबन्दी अनुसार खातेदार कैलाश पुत्र बंशी का हिस्सा राज्य सरकार द्वारा कुर्क किया जा चुका है परन्तु वादग्रस्त भूमि अविभाजित सहखातेदारी की होने से कब्जाराज नही लिया जा सका। इसी कारणवश प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 वादग्रस्त भूमि का विभाजन नही करवाना चाहते है और ना ही वादग्रस्त भूमि में विरासत का नामान्तरकरण खुलवाना चाहते है क्योंकि विभाजन होने के पश्चात् प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 की भूमि कब्जेराज में चली जायेगी। राज्य सरकार द्वारा वादग्रस्त भूमि को कब्जेराज लेने की प्रक्रिया आरम्भ की तो प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 ने झूंठे तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना–पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जिसे कुर्की की कार्यवाही से बचा जा सके, इसी मंशा से प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 द्वारा यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। वादीगण के हकपूर्वाधिकारी गोपीराम, प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के हकपूर्वाधिकारी कैलाश पुत्र बंशी, प्रतिवादी संख्या 1, 6 लगायत 8, प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 13 के हकपूर्वाधिकारी लालचन्द पुत्र बंशी के मध्य नियमानुसार वादग्रस्त भूमि का विभाजन किया गया है जिससे वादीगण एवं प्रतिवादीगण बाध्य है। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 द्वारा अपनी भूमि की कुर्की से बचने के उद्देश्य से यह प्रार्थना–पत्र झूंठे व मनघढ़न्त कथनों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्षकारान पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन करने से इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 का कथन रहा कि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 लगायत की कोई तामिल नही करवाई गई, कोई नोटिस प्राप्त नही हुये और तामिल फर्जी व गलत करवाई गई है। इस सम्बन्ध में मूल वाद का अवलोकन किया गया मूल वाद में

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के सम्मन पर नोटिस लेने से इन्कार किये जाने की रिपोर्ट अंकित है और दो गवाहान के हस्ताक्षर के साथ उनके आधार कार्ड की छाया प्रति संलग्न है, इससे स्पष्ट होता है प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 को न्यायालय से सम्मन जारी हुये है और पुनः तामिलशुदा प्राप्त हुये है जिससे उनकी तामिल सम्यक मानी गई है, विधि के प्रावधानों के अनुरूप है, शेष प्रतिवादीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त हुये है इसलिए तामिल फर्जी व गलत नही है। वादीगण की यह आपत्ति रही कि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 ने उक्त प्रार्थना पत्र मयाद बाहर प्रस्तुत किया है और मयाद को कन्डोन करवाये जाने का कोई प्रार्थना पत्र पेश नही किया है, मूल वाद में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 22.10.2021 को व अन्तिम डिक्री दिनांक 07.01.2022 को जारी की गई है और प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 ने यह प्रार्थना पत्र दिनांक 21.02.2024 को प्रस्तुत किया है जो स्पष्टतयाः मयाद बाहर प्रस्तुत होना जाहिर है तथा प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 ने मयाद अधिनियम के अन्तर्गत डिले कन्डोन करने का कोई प्रार्थना पत्र उक्त प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नही किया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 का प्रार्थना पत्र के साथ मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश करने के अभाव में मूल प्रार्थना पत्र के गुणावगुण पर विचार किया जाना उचित नही समझते है और प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 का प्रार्थना पत्र बाबत एकपक्षीय डिक्री अपास्त किये जाने का अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 का प्रार्थना पत्र बाबत एकपक्षीय डिक्री अपास्त किये जाने अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा0दी0 के साथ मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश करने के अभाव में खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)